संख्या:-143/2021/आई/125297/2021/502आ0/23-5-21-20(भवन)/2021

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक: 23 दिसम्बर, 2021**

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में "कर्मचारियों/अधिकारियों के नये आवासीय भवनों का निर्माण" मद के अन्तर्गत जनपद कासगंज, बस्ती, गोण्डा, गाजीपुर व रायबरेली के कुल 06 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्र के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में "कर्मचारियों/अधिकारियों के नये आवासीय भवनों का निर्माण" मद के अन्तर्गत जनपद कासगंज, बस्ती, गोण्डा, गाजीपुर व रायबरेली के कुल 06 कार्यों हेतु प्राप्त आगणन कुल लागत रू0 1261.19 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि **रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	आगणन की लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि
				(धनराशि रू0 लाख में)	
1	2	3	4	5	6
1	1509जी/79(1)बी0पी0-विंग/2020, दिनांक 30.12.2020	कासगंज	कासगंज के अवर अभियन्ताओं हेतु टाइप-3 के आवासों का निर्माण कार्य।	132.57	06.00
2	1563जी/79(13)बी0पी0-विंग/2020, दिनांक 20.11.2020	बस्ती	बस्ती के निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0 के अन्तर्गत श्रेणी-3 के 12 आवास श्रेणी-4 के 06 आवास का निर्माण कार्य।	496.40	14.00
3	1083जी/9(16)बी0पी0-विंग/2020, दिनांक 03.09.2020	गोण्डा	गोण्डा में लो0नि0वि0 के टाइप-3 के 02 ब्लॉक (12 आवास) का निर्माण कार्य।	214.61	09.00
4	660जी/9(निरी0सा0)बी0पी0-विंग/2021, दि0 25.06.2021	गाजीपुर	गाजीपुर में निरीक्षण भवन परिसर में विभागीय टाइप-3 आवास का निर्माण कार्य।	201.21	09.00
5	तदैव	तदैव	गाजीपुर में निरीक्षण भवन परिसर में विभागीय टाइप-4 आवास का निर्माण कार्य।	153.68	08.00
6	820जी/9(निरी0सा0)बी0पी0-विंग/2021, दि0 09.07.2021	रायबरेली	रायबरेली के तहसील ऊंचाहार में लखनऊ - प्रयागराज मार्ग (एन0एच0-30) के किमी0-115 (चैनेज-140.160) में स्थित बाउण्ड्रीवाल सहित विभागीय निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य।	62.72	04.00
			योग :-	**1261.19**	**50.00**

1- प्रश्नगत कार्य हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो जाय।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

6- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

7- प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तावानुसार आंकलित लागत में लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

8- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। अतएव आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

9- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

11- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

12- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति(डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जाय कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

13- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55 पूंजीलेखा के अधीन लेखाशीर्षक 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-05-निर्माण-अन्य-0537-कर्मचारियों/अधिकारियों के नये आवासीय भवनों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-यू0ओ0-ई-8-3412/दस-2021-2022, दिनांक 23.12.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

सख्या:-143/2021/आइ/125297/2021/502आ0(1)/23-5-2021तद्दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी कासगंज, बस्ती, गोण्डा, गाजीपुर व रायबरेली।
4- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(म0क्षे0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता, अलीगढ़ क्षेत्र, बस्ती क्षेत्र, देवीपाटन(गोण्डा), वाराणसी क्षेत्र, लो0नि0वि0।
9- अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, बस्ती वृत्त, गोण्डा वृत्त, जौनपुर-गाजीपुर वृत्त एवं लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0।
10- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कन्नौज।
11- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, बस्ती।
12- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गोण्डा।
13- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गाजीपुर।
14- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, रायबरेली।
15- वित्त(व्यय नियंत्रक), अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in